बड़ोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, अहमदाबाद और सूरत में वायु प्रदूषण का स्तर

2925. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, अहमदाबाद और सूरत में आन्तरिक वायु प्रदूषण बाह्य प्रदूषण से दस गुना अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) आन्तरिक वायु प्रदूषण से अभिप्राय भीतरी वायु गुणवत्ता से है जो कि कई कारणों पर निर्भर करता है जैसे कि निवासियों के कार्यकलाप, संवातन प्रणाली, तापन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले ईंधन की प्रकृति और गुणवत्ता आदि। भीतरी और बाहरी प्रदूषण कितना-कितना है, उसके बारे में कोई सामान्य विवरण देना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार ने भीतरी वायु प्रदूषण के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किए हैं। हालांकि मेसर्स आर्कटिक इंण्डया सेल्स द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े यह बताते हैं कि कार्बनडाइ आक्साइड जमाव के रूप में भीतरी वायु प्रदूषण अधिक है, किन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि भीतरी वायु प्रदूषण का स्तर बाहरी वातावरण के प्रदूषण से दस गुणा अधिक है।

(घ) भीतरी वायु प्रदूषण कोई समस्या मुख्यतः हवा के आने-जाने (संवातन) की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में जागरुकता पैदा कि जाए और भवनों का इस प्रकार से उचित डिजाइन तैयार किया जाए ताकि उनमें प्राकृतिक संवातन बना रहे। भीतरी और बाहरी प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इसमें एक राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम है और दूसरी राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, जिसमें परिवार के आकार के अनुसार बायोगैस संयंत्र उपलब्ध कराया जाता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और अन्य प्रोत्साहन दे रही है ताकि भीतरी वातावरण में से धुएं के स्तर में कमी लाई जा सके अथवा इसे समाप्त किया जा सके।

(2) विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख प्रदूषकों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख श्रेणी के उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(4) उद्योगों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(5) उद्योगों को स्थान दिलाए जाने और उनको चलाने के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(6) बड़े आकार की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन तथा उससे जुड़े अध्ययनों पर आधारित पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है।

(7) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अधीन वाहन उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(8) चार महानगरों में कैटेलिटिक कनवर्टर लगे वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल की शुरूआत की गई है।

देश में "प्रोजेक्ट टाइगर" क्षेत्रों की संख्या

2926. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के अंतर्गत किन-किन राज्यों में कितने वन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक प्रत्येक वर्ष में किन-किन राज्यों एवं किस-किस 'प्रोजेक्ट टाइगर' क्षेत्र में कितने-कितने व्यक्ति बाघों/शेरों का शिकार हुए और प्रत्येक मृतक के परिवार को मुआवजे की कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।